



राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

क्रमांक- प.6(33)प्र.सु./अनु.-3/2018/

जयपुर, दिनांक 06/12/2019

आदेश

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कार्यक्रम (RGSA) के तहत महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय सलाहकार समिति (State Advisory Committee) का अस्थाई रूप से निम्नानुसार गठन किया जाता है:-


क्र.सं.	पद	अध्यक्ष / सदस्य
1.	उप मुख्यमंत्री, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	अध्यक्ष
2.	मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।	सदस्य
3.	राज्य मंत्री, पंचायती राज (उपलब्ध होने की स्थिति में)	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सदस्य
5.	शासन सचिव, वित्त(बजट) विभाग	सदस्य
6.	शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
7.	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
8.	आयुक्त/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
9.	श्री सुरेन्द्र कुमार, जिला प्रमुख, कोटा।	सदस्य
10.	श्रीमती अंजना मेघवाल, जिला प्रमुख, जैसलमेर।	सदस्य
11.	श्रीमती गायत्री मीणा, प्रधान, पं.स. गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर।	सदस्य
12.	श्रीमती रसीदा बानो, प्रधान, पं.स. पाटोदी, जिला बाडमेर।	सदस्य
13.	श्री रघुवीर सिंह जाटव, सरपंच, ग्रा.पं. बुर्जा, पं.स. नगर, जिला भरतपुर।	सदस्य
14.	श्री प्रहलाद मीणा, सरपंच, ग्राम.पं. सोखर, पं.स.कठूमर, जिला अलवर,	सदस्य
15.	श्रीमती दुर्गा कंवर, सरपंच, ग्रा.पं.झामोला, पं.स.मसूदा, जिला अजमेर।	सदस्य
16.	श्रीमती सुनीता चौधरी, सरपंच, ग्रा.पं.डाकीपुरा, पं.स. मौलासर, जिला नागौर।	सदस्य
17.	श्री मुकेश गोस्वामी, पंचायती राज क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्लॉट नं. 9 स्कीम नं.-111 गोपालपुरा मोड, जयपुर।	सदस्य
18.	श्री लादू शर्मा, पूर्व सरपंच, पंचायती राज क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित व्यक्ति, ग्राम पंचायत बरनी, पंचायत समिति टोंक जिला टोंक।	सदस्य
19.	आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग।	सदस्य सचिव

- उक्त समिति राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत (RGSA) कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने एवं राज्य के संबंधित अधिकारियों को क्रियान्वयन में उपयुक्त सलाह देना सुनिश्चित करेगी।



2. उक्त समिति राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत (RGSA) कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने एवं राज्य के संबंधित अधिकारियों को क्रियान्वयन में उपयुक्त सलाह देना सुनिश्चित करेगी।
3. समिति की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जावेगी।
4. समिति का कार्यकाल योजना की क्रियान्विति तक रहेगा।
5. समिति का प्रशासनिक विभाग पंचायती राज विभाग, होगा।

आज्ञा से



6-12-19
(अरुण प्रकाश शर्मा)
शासन उप सचिव

क्रमांक- प.6(33)प्र.सु./अनु.-3/2018/

जयपुर, दिनांक 06/12/2019

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त(बजट)विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव /आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
9. निजी सचिव विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक पंचायती राज विभाग।
10. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
11. जिला प्रमुख, जिला परिषद- कोटा।
12. जिला प्रमुख, जिला परिषद-जैसलमेर।
13. प्रधान, पंचायत समिति पाटोदी, जिला बाडमेर।
14. प्रधान, पंचायत समिति गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर।
15. सरपंच, ग्राम पंचायत बुर्जा, पंचायत समिति नगर जिला भरतपुर।
16. सरपंच, ग्राम पंचायत सोखर, पं.स. कठूमर जिला अलवर।


6-12-19
शासन उप सचिव